भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4416

उत्तर देने की तारीख : 19.03.2026

मध्य प्रदेश में उद्यम सखी पोर्टल

4416. श्री दर्शन सिंह चौधरी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत के बाद से इस पोर्टल पर पंजीकृत महिलाओं का जिला-वार, विशेषकर होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिलों में ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) उक्त पंजीकृत महिलाओं को अब तक प्रदान किए गए ऋण, अनुदान, राजसहायता आदि जैसे वित्तीय लाभों और प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों जिलों के ग्रामीण विकास खंडों में क्लस्टर विकास, विपणन सहायता, डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण और सहायता सहित कोई विशेष उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या नरसिंहपुर जिले में जिला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सुविधा केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो इसके कार्य के दायरे, प्रस्तावित स्थान और स्थापना की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): उद्यम सखी पोर्टल को वर्ष 2018 में एमएसएमई क्षेत्र में मौजूदा और भावी महिला उद्यमियों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की वित्तीय स्कीमों, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। उद्यम सखी पोर्टल महिलाओं को निम्नलिखित स्कीमों / कार्यक्रमों पर जानकारी प्रदान करता है:

i. एमएसएमई मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की वित्तीय स्कीमें जैसे पीएमईजीपी, सीजीटीएमएसई, मुद्रा, ट्रेड्स आदि।
ii. एमएसएमई मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की नीतियां और कार्यक्रम।
iii. व्यापार योजना तैयार करने के बारे में जानकारी।
iv. संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में एमएसएमई मंत्रालय के नोडल कार्यालयों / सहायक संगठनों का विवरण।
v. एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

अब तक पूरे देश में कुल 4,580 महिलाओं का पंजीकरण किया गया है। इनमें से 79 महिलाएं मध्य प्रदेश राज्य से हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिलों से किसी भी महिला का पंजीकरण नहीं हुआ है। यह पोर्टल अब बंद कर दिया गया है।

(ग): सरकार ने एमएसएमई में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं, जैसे:

i. एमएसएमई मंत्रालय की खरीद और विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों में व्यक्तिगत एमएसई की भागीदारी, विक्रेता विकास कार्यक्रम, आधुनिक पैकेजिंग तकनीक को अपनाने, बार कोड, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आदि जैसे विभिन्न घटकों के तहत बाजार पहुंच बनाने के लिए लाभ प्रदान करती है।

प्रापण और विपणन सहायता स्कीम के तहत व्यापार मेलों में अन्य उद्यमियों को भागीदारी के लिए 80% की छूट की तुलना में महिला उद्यमियों की भागीदारी के लिए 100% की सब्सिडी दी जाती है।

पीएमएसएस के तहत व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों में भाग लेने वाली महिला लाभार्थियों का विवरण

क्र. सं.	**वित्त वर्ष**	**आयोजित घरेलू व्यापार मेलों की संख्या**	**कुल लाभार्थी**	**महिला लाभार्थी**	**मध्य प्रदेश में महिला लाभार्थी**
1.	2023-24	256	11,034	3,579	91
2.	2024-25	255	9,870	3,309	148
3.	2025-26 (दिनांक 12.03.2026 के अनुसार)	276	10,309	3,698	344

ii. महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए उद्यम पंजीकरण (यूआरपी) और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) पर पंजीकरण के लिए विशेष अभियान।

iii. महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए, सार्वजनिक प्रापण नीति, 2012 के तहत, सीपीएसई / मंत्रालयों / विभागों द्वारा वार्षिक खरीद का 3% महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से अनिवार्य किया गया है।

iv. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (एमएसई) के तहत महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए, दिनांक 10.12.2024 से महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए निम्नलिखित दो प्रावधान पेश किए गए हैं:

क. अन्यों के लिए 75% के मुकाबले 90% तक की गारंटी कवरेज; और

ख. 10% वार्षिक गारंटी शुल्क में रियायत।

v. एमएसएमई मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को कार्यान्वित करता है, जो एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है और जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। पीएमईजीपी के कुल लाभार्थियों में से 39% महिलाएं हैं और गैर-विशेष श्रेणी (25% तक) की तुलना में उन्हें अधिक सब्सिडी (35%) प्रदान की जाती है।

vi. महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय कॅयर विकास योजना के तहत 'कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना' लागू करता है, जो कॅयर क्षेत्र में लगी महिला कारीगरों के कौशल विकास के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

vii. मंत्रालय ने एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के साथ मौजूदा और महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 'यशस्विनी' जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिससे उन्हें हैंडहोल्डिंग, मेंटरशिप और क्षमता निर्माण के माध्यम से निरंतर समर्थन प्रदान किया जा रहा है। अभियान के बाद दिनांक 15.03.2026 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल / उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर 1.31 करोड़ महिला उद्यमियों का पंजीकरण हुआ है।

viii. एमएसएमई मंत्रालय "उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)" नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन करता है जिसका उद्देश्य युवा व्यक्तियों / इच्छुक उद्यमियों को स्वरोजगार या उद्यमिता को एक करियर विकल्प के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना है। इसका अंतिम उद्देश्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मौजूदा एमएसएमई की क्षमता का निर्माण करना और देश में उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिलों में वर्तमान वर्ष सहित पिछले पांच वित्तीय वर्षों में ईएसडीपी स्कीम की प्रगति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**वित्त वर्ष**	**होशंगाबाद**		**नरसिंहपुर**	
		आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	**महिला लाभार्थियों की संख्या**	**आयोजित कार्यक्रमों की संख्या**	**महिला लाभार्थियों की संख्या**
1.	2021-22	1	22	0	0
2.	2022-23	19	469	18	412
3.	2023-24	14	374	17	477
4.	2024-25	9	231	24	552
5.	2025-26 (दिनांक 11.03.2026 तक)	51	1167	11	354
कुल		94	2,263	70	1,795
डेटा स्रोत: ईएसडीपी स्कीम का एमआईएस पोर्टल।					

(घ) : एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को भुगतान करने में देरी के मामलों का निपटान करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब तक, मध्य प्रदेश में केवल एक एमएसईएफसी स्थापित किया गया है।
